(मैनुअल-17)
अन्य उपयोगी जानकारियां

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।
संख्याः 3/47/09-6/21/05-प्रका0
....
लखनऊ दिनांक 21 मई, 2009 के अन्तर्गत सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश द्वारा की गयी व्यवस्था निम्न प्रकार हैः-

कार्यालय आदेश संख्या-6/शा0/271/05-6/13/01 दिनांक 20.09.05 व कार्यालय आदेश संख्या- 6/905/2006-21/2005 दिनांक 25.07.06 एवं 6/905/ 1/06-6/21/2005 दिनांक 13.11.06 के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5;1द्ध तथा धारा-19 (1) के अनुपालन में पंचायतीराज निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक, मण्डल स्तर पर मण्डलीय उप निदेशक ;पं0द्ध, जनपद स्तर पर जिला पंचायतराज अधिकारी, क्षेत्र पंचायत स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पं0) एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पदेन सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को जन सूचना अधिकारी नामित किया गया था परन्तु आवेदकों द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा सूचनायें समय से उपलब्ध न कराये जाने की शिकायत राज्य सूचना आयोग एवं शासन को निरन्तर प्राप्त होने के कारण पूर्व प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी तथा उनके सम्मुख उल्लिखित अधिकारी को अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता हैः-

क्र.सं. कार्यालय का नाम नामित नामित अपीलीय अधिकारी
जनसूचना अधिकारी सहायक जनसूचना अधिकारी

1 पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0। संयुक्त निदेशक ;पं0द्ध प्रकाशन अधिकारी निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।

2 मण्डलीय उप निदेशक ;पं0द्ध सम्बन्धित उप निदेशक ;पं0द्धकार्यालय में सम्बद्ध जिला पंचायतराज अधिकारी अपर निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।

3 जिला पंचायतराज अधिकारी सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी सहायक जिला पंचायतराज अधिकारी ;प्रा0द्ध मण्डलीय उप निदेशक ;पं0द्ध

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे। अतः जनसूचना अधिकारी नामित किये जाने से सम्बन्धित पूर्व प्रसारित कार्यालय आदेश संख्या-6/शा0/271/05 -06/13/2001 दिनांक 20 सितम्बर, 2005 व कार्यालय आदेश संख्या-6/905/06-6/ 21/2005 दिनांक 25 जुलाई, 2006 एवं 6/905/1/ 06-6/21/2005 दिनांक 13 नवम्बर, 2006 को उक्त सीमा तक अवक्रमित किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु शासनादेश संख्या: 993/43-2-2005 दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 के अनुसार निम्नलिखित शुल्क देय होगा:-

1. अधिनियम की धारा-6 की उपधारा-1 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु ;गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा, जिसके लिए उसे प्रमाण-पत्र देना होगाद्ध रू. 10.00
(प्रति आवेदन पत्र)

2. किसी अभिलेख की प्रतिलिपि हेतु (ए-4) या (ए-3) साइज पेपर पर प्रतिलिपि रू. 2.00
(प्रति पृष्ठ)

3. लार्जर साइज के पेपर पर प्रतिलिपि हेतु ;वास्तविक व्यय प्रति पृष्ठद्ध

4. सेम्पल्स अथवा मा◌ॅडल के लिए उनका वास्तविक मूल्य और जहा◌ॅं सूचना छपी मूल्य से सम्बन्धित है वहा◌ॅ निर्धारित छपा मूल्य

5. अभिलेखों का निरीक्षण प्रति घण्टा उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट की अवधि के लिए रू. 10.00

रू. 05.00

6. डिस्कैट या फ्लापी या कौम्पैक्ट डिस्क द्वारा सूचना प्राप्त करने पर रू. 50.00 (प्रत्येक)

7. प्रिन्टेड सामग्री की सूचना हेतु ऐसे प्रिन्टेड सामग्री की प्रकाशक की नियत दर पर

8. प्रकाशित सामग्री के उद्वरण की प्रतिपृष्ठ फोटोकापी के लिए रू. 2.00 (प्रति पृष्ठ)

उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क नकद अथवा सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक, पोस्टल और्डर अथवा नकद रूप में दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदनकर्ता को शुल्क की रसीद प्रदान की जाएगी।